

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

1927-76  
क्रमांक...../एम.सी./अराज-5/2022

भोपाल, दिनांक.../05/2022

कार्यालयीन आदेश

प्रमाणित किया जाता है कि स्वशासी गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन संबद्ध संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की स्थापना में पदस्थ स्वशासी स्टाफ नर्सों को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर एवं मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-एफ 2/57/2018 /55-1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में वर्णित बिन्दु 01 से 04 जो नियमानुसार है के अन्तर्गत सर्शत नवीन नियुक्ति दी जाती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	पदस्थापना स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (आने वाले)	पदस्थापना स्थल (आने वाले)
1	मोना भन्डोले, अनु.जाति	गाँधी चि0 महा0 भोपाल	भावना खातरकर, अनु.जाति	चि0 महावि0 इंदौर
2	प्रीति नागवंशी अनु.जाति	गाँधी चि0 महा0 भोपाल	अंकिता करछले अनु.जाति	चि0 महावि0 जबलपुर

1. पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद एवं समान संवर्ग के लिए होना चाहिए, ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
2. पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालयों में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा।
3. नवीन नियुक्ति दिये जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान में लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
4. उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जावेगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
5. उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनो आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मान्य होगी। दोनो आवेदको में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्य भार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वयमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 10/05/2022

पृ. क्रमांक 1927-76 /स्था/अराज-5/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर/इंदौर/ की ओर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मेट्रन, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संबंधित कर्मचारी मोना भन्डोले/प्रीति नागवंशी अनु.जाति, स्वशासी स्टाफ नर्स द्वारा -संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित।
5. आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल .